प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के विज्ञप्ति संख्या–1/796699/2024 दिनांक–14 नवम्बर, 2024 द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0–26) में प्राप्त अधिकारो के कम में संबंधित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए मतदान दिवस के दिन दिनांक–20 नवम्बर, 2024 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा जिले के कोषागार व उप कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेंगे।

उक्त निर्देश के कम में 56–गाजियबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन–2024 हेतु मतदान दिवस दिनांक–20 नवम्बर, 2024 (बुधवार) को जनपद–गाजियाबाद में सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के दृष्टिगत दिनांक–20 नवम्बर, 2024 को होने वाले मतदान में, कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–35(ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रकिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करेंगे तथा अनविरल प्रकिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं किया जायेगा।

(कृपांशु गुप्ता)
सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।

कार्यालय सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

संख्या– 1312-16 एडीएफ/वि0स0 उप निर्वा0/2024 दिनांक– 18.11.2024

प्रतिलिपि– उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0, गाजियाबाद।

2– उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद।

3– उपायुक्त, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, गाजियाबाद।

4– जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ कि इस सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क मतदान दिवस दिनिांक–20 नवम्बर, 2024 तक प्रतिदिन प्रकाशित करायें।

5– समस्त इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन को सूचनार्थ प्रेषित।

(कृपांशु गुप्ता)
सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।